न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

मु0नं0 : 27/2020 (20/00363)

काशीराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी झांसल हाल निवासी वार्ड नं0 15 भादरा तहसील भादरा।

– प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रसिंह पुत्र उदमी जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– असल अप्रार्थीगण

3. दुलीचन्द पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. जयदीशचन्द्र पुत्र उदमी जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
5. भरथोदेवी पत्नी दीवानसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
6. विनोद पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
7. सुरेश पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
8. सन्तो पुत्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
9. शशीबाला पुत्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
10. मनोजदेवी पुत्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
11. ओबीसी वर्तमान पीएनबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. एसबीआई छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र बाबत स्वीकृत करवाने रास्ता अन्तर्गत शर्त 8(2) राजस्थान कोलोनाईजे0 कण्डिशंस सपठित धारा 251ए राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री सुनिल बैनिवाल : **प्रार्थी**

वकील श्री इन्द्रसिंह : **अप्रार्थी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :** 13/7/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएल के खाता सं0 15/95 के मु0नं0 17 के किला नं0 11, 20, 21 मु0नं0 19 के किला नं0 25, मु0नं0 22 के किला नं0 25 मु0नं0 27 के किला नं0 1 ता 5, मु0नं0 32 के किला नं0 1 कुल 2.783 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी एवं तरतीबी प्रतिवादी अप्रार्थीगण की मुश्तर्का खातेदारी है जिसकी बाबत प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का वाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसमें प्रार्थी के हिस्सा में चक 2 जेएसएल के मु0नं0 27 के किला नं0 1 ता 5 व मु0नं0 22 किला नं0 25 की भूमि आई हुई है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी के पास स्थित रोही मौजा चक 2 जेएसएल के खाता सं0 5/5 के मु0नं0 22 के किला नं0 21/2 कुल 0.202 है0 नहरी खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

चक 2 जेएसएल के मु0नं0 22 के किला नं0 21 के बीच में से सडक भादरा से आदमपुर को जाती है। उक्त सड़क के उतरी तरफ किला नं0 21/1 व दक्षिणी तरफ किला नं0 21/2 की भूमि स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी में सदामत से ही अप्रार्थी के नाम दर्ज चक 2 जेएसएल के मु0नं0 22 के किला नं0 21/2 में उतर से दक्षिण की तरफ चलकर पत्थर लाईन से अपनी खातेदारी चक 2 जेएसएल के मु0नं0 27 के किला नं0 1 में प्रवेश करता है। इसके अलावा प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिए अन्य कोई चालू या स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है।

प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थी की मु0नं0 22 के किला नं0 21/2 में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के चलते अप्रार्थी बन्द करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन के लिये अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज चक 2 जेएसएल के मु0नं0 22 के किला नं0 21/2 में पश्चिमी तरफ पत्थर लाईन के पास से उतर से दक्षिण की ओर सवा आठ फिट चोड़ाई का रास्ता स्वीकृत करवाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी की उक्त खातेदारी में राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डिशंस के प्रावधान लागू होते है तथा प्रार्थी अप्रार्थी इन्द्रसिंह को रास्ता के बदले में जाने वाली भूमि के बदले अपने खेत से भूमि देने या डीएलसी दर से रूपये देने के लिये तत्पर एवं तैयार है।

अप्रार्थी 1 की किला नं0 21/2 में ढाणी बनी हुई है तथा रास्ता की तरफ करीब 20 फिट जगह खाली पड़ी है जहां से होकर प्रार्थी सदामत से अपनी खातेदारी में आवागमन करता आ रहा है। अब उक्त रास्ता को अप्रार्थी इन्द्रसिंह बन्द करने की कोशिश में है। यदि अप्रार्थी इन्द्रसिंह उक्त रास्ता को बन्द कर देता है तो प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन नहीं कर पायेगा तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि काश्त के अभाव में बंजर हो जावेगी तथा प्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन इसी खातेदारी से होने वाली आय आदमनी है जो बन्द हो जाने से प्रार्थी व प्रार्थी परिवार पर रोजी रोटी का संकट हो जायेगा।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि हम पक्षकारान का आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है तथा अप्रार्थी इन्द्रसिंह अपनी खातेदारी चक 2 जेएसएल के मु0नं0 22 के किला नं0 21/2 में पश्चिमी तरफ पत्थर लाईन के पास उतर से दक्षिण की तरफ सड़क से लेकर मेरे खेत तक सवा आठ फिट चौड़ाई में रास्ता दर्ज करवाने पर सहमत व रजामन्द है तथा उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थी अपनी खातेदारी चक 2 जेएसएल के मु0नं0 22 के किला नं0 25 के पश्चिमी तरफ अप्रार्थी इन्द्रसिंह की भूमि के चिपते हुए रास्ता में जाने वाली भूमि के अनुपात में भूमि देने पर सहमत व रजामन्द है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी की खातेदारी के चक 2 जेएसएल के मु0नं0 22 के किला नं0 21/2 में से होते हुए अपने खातेदारी में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी काशीराम व अप्रार्थी इन्द्रसिंह के मध्य रास्ता की बाबत आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है एवं दोनों पक्षकार राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने व रास्ता की एवज में दी जाने वाली भूमि की बाबत सहमत व रजामन्द है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत शर्त 8(2)राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डिशंस सपठित धारा 251ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा चक 2 जेएसएल के मु0नं0 22 के किला नं0 21/2 में पश्चिमी तरफ पत्थर लाईन के पास पास उतर से दक्षिण की तरफ सवा आठ फिट चौडाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में भूमि की एवज में प्रार्थी काशीराम की खातेदारी चक 2 जेएसएल के मु0नं0 22 के किला नं0 25 के पश्चिमी तरफ अप्रार्थी इन्द्रसिंह की भूमि के चिपते हुए रास्ता में जाने वाली भूमि के अनुपात में कृषि भूमि अप्रार्थी इन्द्रसिंह के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:15 IST
Reason: SelfAttested